

संधियों से सेहत नहीं सुधरती

यह वैसे तो आम तौर पर लोग जानते ही होंगे कि मात्र अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करने और उनका अनुमोदन करने से देशों की हालत नहीं बदलती मगर अब एक व्यवस्थित अध्ययन ने भी इस सहज विचार को रेखांकित किया है।

पिछले वर्षों में देशों ने मानव अधिकार सम्बंधी ऐसी कई संधियों को अनुमोदित किया है जो स्वास्थ्य सुधार का वायदा करती हैं। इनके प्रभाव का आकलन करने के लिए कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन एचआईवी/एडस के एडवर्ड मिल्स ने 170 देशों में स्वास्थ्य की स्थिति का विश्लेषण किया। इनमें से 65 प्रतिशत देशों ने 6 ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें स्वास्थ्य सुधार सम्बंधी धाराएं थीं। देशों के स्वास्थ्य की स्थिति को चार कसौटियों के आधार पर आंका गया था: माताओं, शिशुओं और बच्चों की मृत्यु दर और औसत आयु। लैंसेट नामक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन का निष्कर्ष है कि संधि पर हस्ताक्षर करने और इन कसौटियों

से सम्बंधित आंकड़ों का परस्पर कोई सम्बंध नहीं दिखता। कई देशों में तो संधि का अनुमोदन करने के 10 साल बाद भी कोई सुधार नज़र नहीं आता है।

मिल्स व उनके दल का निष्कर्ष है कि स्वास्थ्य पर एक ही चीज़ का असर पड़ता है - आर्थिक विकास। इसके आधार पर उनका सुझाव है कि उक्त संधियों के स्वास्थ्य सम्बंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय मदद और स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं की महती ज़रूरत है। वैसे संभवतः शोधकर्ताओं ने इस बात का विश्लेषण नहीं किया है कि आर्थिक विकास एक निष्पक्ष चीज़ नहीं है और स्वास्थ्य पर इस बात का गहरा असर पड़ता है कि आर्थिक विकास किस तरह का हो रहा है। अतीत में वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सुधार के सम्बंधों के नकारात्मक पक्ष भी उजागर हुए हैं। लिहाज़ा जहां यह सही है कि मात्र संधि हो जाने से स्वास्थ्य नहीं सुधरता, वहीं यह कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं होगा कि मात्र आर्थिक विकास सेहत को बेहतर बना देगा। (**स्रोत फीचर्स**)